पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री श्याम बिहारी प्रसाद, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स०	"राज्य के 3 लाख 6 हजार 990 ईख उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 में गन्ना की आपूर्त्ति की गई है लेकिन अवतक चीनी मिलों द्वारा 6 अरब 13 करोड़ 27 लाख 21 हजार रूपये का ईख मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है । पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना आपूर्त्ति करने वाले छोटे-छोटे कृषकों को आपूर्त्ति किये गये ईख के मूल्य का 20 हजार रूपये तक नगद भुगतान की व्यवस्था थी । ईख आयुक्त, बिहार ने ज्ञापांक-1412, दिनांक-02.07.2014 द्वारा उक्त भुगतान पर रोक लगा दी है, जिससे छोटे-छोटे किसानों को कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है । अत: हम गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान एवं छोटे-छोटे किसानों को 20 हजार रूपये तक का भुगतान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गन्ना उद्योग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० डा० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री भाई विरेन्द्र, स०वि०स० डा० फैयाज अहमद, स०वि०स०	"कटिहार जिलान्तर्गत मनसाही प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में सरकारी भवन बनना था क्योंकि पंचायत का मुख्यालय उसी गाँव में है । पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु 53 डिसमिल जमीन भी मोहनपुर गाँव में उपलब्ध है लेकिन स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा जिलाधिकारी, कटिहार की गलत मंशा के कारण मौजा मोहनपुर रामपुर संतोला में 40 वर्षों से बसे एक दलित परिवार को जबरन हटाकर उसके जमीन पर भवन का निर्माण किया जा रहा है । इसके संबंध में श्री महेन्द्र नारायण यादव, पूर्व मंत्री, बिहार, स्थानीय मुखिया श्री शशि कुमार मंडल एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर इसकी जाँच जिला पंचायत पदाधिकारी एवं डी०डी०सी०, कटिहार से कराई गई । जाँच प्रतिवेदन में जिला पदाधिकारी को स्पष्ट लिखा गया कि रामपुर संतोला में पंचायत भवन का निर्माण कराना गलत है । उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा एग्रीमेंट एवं निविदा को रद्द करने की अनुशंसा भी की गई लेकिन जिलाधिकारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और निर्माण कार्य जारी है । अतः हम मोहनपुर गाँव में पंचायत सरकार भवन बनाने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पंचायती राज

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/15- 758 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गन्ना उद्योग विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/15- 758 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

15/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।